NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-04-2026

विषय सूची

अंबेडकर जयंती
स्टार्टअप इंडिया निधि निधि 2.0
सुभाषचंद्र बोस: एक क्रांतिकारी की सिद्धांत और व्यवहार की विरोधाभासी स्थिति
भारत के मध्यम वर्ग की बढ़ती असुरक्षा
विदेश मंत्री द्वारा 9वें हिंद महासागर सम्मेलन संबोधित

संक्षिप्त समाचार

व्हिप
भारत में मतदान का अधिकार
भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चीन के काल्पनिक नामकरण को खारिज
परियोजना हिम सरोवर
संक्रमण धातुएँ
CAFE-III मानदंड
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM)
अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)

अंबेडकर जयंती

संदर्भ

- 14 अप्रैल को भारत में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, जो डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती का प्रतीक है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:** बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था।
    - वे एक दलित (अनुसूचित जाति) परिवार से थे और उन्हें कठोर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा।
    - कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की।

मुख्य योगदान:

- **संविधान निर्माण में:** वे भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मौलिक अधिकारों, कानून के समक्ष समानता और अस्पृश्यता के उन्मूलन (अनुच्छेद 17) को सुनिश्चित किया।
    - उनके दृष्टिकोण ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन के साथ लोकतांत्रिक ढाँचे की स्थापना की।
    - उन्होंने अनुच्छेद 32 में निहित 'संवैधानिक उपचार का अधिकार' को भारतीय संविधान का 'हृदय और आत्मा' माना।
- **सामाजिक योगदान:** उन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया और दलित अधिकारों, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय का समर्थन किया।
    - उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और महाड़ सत्याग्रह (1927), कालाराम मंदिर सत्याग्रह (नासिक, 1930) जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया।
- **राजनीतिक योगदान:** वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने।
    - उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी (1936) जैसी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की।
    - उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण/सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया।
    - उन्होंने श्रमिक अधिकारों जैसे 8 घंटे कार्य दिवस, मातृत्व लाभ आदि को बढ़ावा दिया।
    - उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार किए।
- **प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ:** *जाति का विनाश*, *रुपये की समस्या*, *शूद्र कौन थे?*, *मूकनायक* (पाक्षिक पत्रिका, 1920), *बहिष्कृत भारत* (पत्रिका, 1927)।
- **बौद्ध धर्म में दीक्षा:** 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
    - उन्होंने समानता और गरिमा के लिए एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की।
    - 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित "जगतिक बौद्ध परिषद" में बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें "बोधिसत्व" की उपाधि प्रदान की।

विरासत

- वे "भारतीय संविधान के जनक" के रूप में जाने जाते हैं।
- उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- उनकी जयंती (14 अप्रैल) को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है।

Source: IE

स्टार्टअप इंडिया निधि निधि 2.0

संदर्भ

- भारत सरकार ने **स्टार्टअप इंडिया निधि निधि 2.0 (FoF 2.0)** को अधिसूचित किया है, जिसका कोष ₹10,000 करोड़ है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए पूंजी एकत्रित करना है।

स्टार्टअप इंडिया निधि निधि (FoF 2.0) क्या है?

- यह एक सरकारी समर्थित कोष है, जो सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता बल्कि **SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)** के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश करता है।

- **कुल कोष:** ₹10,000 करोड़, जिसे 16वें और 17वें वित्त आयोग चक्रों में लागू किया जाएगा।
- यह 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंतर्गत शुरू किए गए **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स(FFS 1.0)** पर आधारित है।
- **उद्देश्य:**
  - विभिन्न क्षेत्रों और चरणों में स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल तक पहुँच बढ़ाना।
  - नवाचार-आधारित विनिर्माण और दीर्घकालिक तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना, जिन्हें सामान्यतः वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

FoF 2.0 का शासन और निगरानी तंत्र

- **AIFs का चयन:** एक वेंचर कैपिटल निवेश समिति (VCIC) पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों की जाँच और अनुशंसा करेगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) FoF 2.0 की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- **निगरानी तंत्र:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति (EC) गठित की जाएगी, जो योजना के कार्यान्वयन और प्रदर्शन की निगरानी करेगी।

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है (अमेरिका और चीन के बाद), जिसमें 120 से अधिक यूनिकॉर्न (मूल्यांकन >$1 बिलियन) और 1,57,000 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं।
- यह पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 12–15% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, कुछ वर्षों में यह वृद्धि ~30% तक रही है।
- **प्रमुख क्षेत्र:** फिनटेक, ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन और हेल्थ-टेक।
- **क्षेत्रीय केंद्र:** बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली-एनसीआर।
- **रोज़गार सृजन:** स्टार्टअप्स ने 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं।
- **वित्त पोषण परिदृश्य:** 2025 में स्टार्टअप्स ने लगभग $10–11 बिलियन एकत्रित किए , जिससे भारत शीर्ष वित्त पोषित पारिस्थितिकी तंत्रों में बना रहा।

स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंड

- **कंपनी की आयु:** स्थापना की तिथि से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **कंपनी का प्रकार:** प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
- **वार्षिक कारोबार:** किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **डीप टेक कंपनियाँ:** 20 वर्ष तक स्टार्टअप मानी जा सकती हैं और उनका कारोबार ₹300 करोड़ तक हो सकता है।
- **मूल इकाई:** किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित या पुनर्निर्मित करके स्थापित नहीं होना चाहिए।

भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाएँ:** प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **बाज़ार मांग का गलत आकलन:** लगभग 42% स्टार्टअप्स असफल होते हैं क्योंकि वास्तविक बाज़ार आवश्यकता का सही आकलन नहीं होता।
- **प्रतिभा बनाए रखना:** स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण स्टार्टअप्स को कुशल प्रतिभा आकर्षित करने और बनाए रखने में कठिनाई होती है।
- **कुछ क्षेत्रों में केंद्रित निवेश:** अधिकांश वित्त पोषण फिनटेक, ई-कॉमर्स और एडटेक में केंद्रित है।
- **महत्वपूर्ण क्षेत्र उपेक्षित:** विनिर्माण, कृषि-तकनीक और डीप-टेक जैसे क्षेत्र अभी भी कम वित्त पोषित हैं।

भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने वाली योजनाएँ

Scheme	Ministry	Objective
Atal Innovation Mission (AIM) (2016)	NITI Aayog	Foster nationwide innovation culture
GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) (2022)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	Deep-tech startups in Tier II/III cities
Technology Incubation and Development of Entrepreneurs (TIDE) 2.0 (2019)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	ICT startup incubation & scale-up
MeitY Startup Hub (MSH) (2016)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	Integrate tech startup ecosystem
NIDHI (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations) (2016)	Department of Science & Technology (DST)	Support S&T startups from idea to market
Startup Village Entrepreneurship Programme (SVEP) (2015)	Ministry of Rural Development (DAY- NRLM)	Promote rural entrepreneurship
ASPIRE (Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship) (2015)	Ministry of MSME	Strengthen rural enterprise incubators
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (2008)	Ministry of MSME (KVIC)	Subsidised credit for self-employment

आगे की राह

- **"मूल्यांकन-आधारित" से "मूल्य-आधारित" वृद्धि की ओर बदलाव:** यूनिकॉर्न पर अत्यधिक ध्यान देने के बजाय सतत और लाभकारी व्यापार मॉडल की ओर बढ़ना आवश्यक है।
- **डीप-टेक प्राथमिकता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक, जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानना।
- **विकेन्द्रीकृत नवाचार क्लस्टर:** महानगरों से आगे बढ़कर क्लस्टर-आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, जैसे—
    - ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-तकनीक क्लस्टर,
    - औद्योगिक गलियारों में विनिर्माण क्लस्टर,
    - अनुसंधान संस्थानों के निकट डीप-टेक हब।

Source: PIB

सुभाषचंद्र बोस: एक क्रांतिकारी की सिद्धांत और व्यवहार की विरोधाभासी स्थिति

समाचार में

- हाल ही में यह रेखांकित किया गया है कि सुभाषचंद्र बोस आदर्शवाद से एक व्यावहारिक, संतुलित दृष्टिकोण की ओर बढ़े, जिसमें नैतिक दृष्टि और प्रभावी क्रियान्वयन का संयोजन था।

सुभाषचंद्र बोस

- **प्रारंभिक जीवन:** वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे।
    - उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। वे शैक्षणिक रूप से अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की और बाद में भारतीय सिविल सेवा (ICS) की तैयारी हेतु इंग्लैंड गए।
    - ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्होंने त्यागपत्र देकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना चुना।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जहाँ उन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय मांग बनाने का समर्थन किया और ब्रिटिश नियंत्रित संघीय योजनाओं का विरोध किया।
- 1939 में वे पुनः अध्यक्ष चुने गए, जब उन्होंने गांधी समर्थित उम्मीदवार डॉ. पट्टाभि सीतारमैया को पराजित किया। किंतु कार्यसमिति बनाने में असफल रहने पर उन्हें आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा।
    - परिणामस्वरूप उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।
- उन्होंने कांग्रेस के भीतर अधिक उग्र वामपंथी सदस्यों को एकजुट करने हेतु **फॉरवर्ड ब्लॉक** का गठन किया।
    - 1940 में "ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता" स्मारक के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में भूख हड़ताल के पश्चात दिसंबर में रिहा किया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने धुरी राष्ट्रों से समर्थन माँगा, जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर से मिले और बाद में जापान चले गए।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का नेतृत्व किया, जो युद्धबंदी भारतीय सैनिकों और प्रवासी भारतीयों से बनी थी, और दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के विरुद्ध लड़ी।

सुभाषचंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक अंतर

- गांधी स्वतंत्रता के लिए क्रमिक मार्ग का समर्थन करते थे, जबकि बोस तत्काल और निर्णायक कार्रवाई चाहते थे।
- गांधी भौतिकवाद और आधुनिक तकनीक को अस्वीकार करते थे, जबकि बोस तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन को भारत की प्रगति और गरिमा के लिए आवश्यक मानते थे।
- गांधी विकेन्द्रीकृत सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे और आधुनिक राज्य के प्रति संदेह रखते थे, जबकि बोस मानते थे कि भारत की समस्याओं के समाधान हेतु एक सशक्त केंद्रीकृत राज्य आवश्यक है।
- बोस ने गांधी के कठोर अहिंसा सिद्धांत को भी अस्वीकार किया।
- इन मतभेदों के बावजूद बोस गांधी के महत्व का सम्मान करते थे और 1944 में सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारण में उन्हें प्रथम बार "राष्ट्रपिता" कहा।

दर्शन

- सुभाषचंद्र बोस वेदांत-प्रेरित आदर्शवाद से विकसित होकर एक व्यावहारिक, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण तक पहुँचे, जिसमें अध्यात्म और हेगेलियन विचार का संयोजन था।
- उन्होंने **"सम्यवाद"** (Samyavada) का सिद्धांत विकसित किया, जो विरोधी विचारधाराओं का संश्लेषण कर समानता, औद्योगीकरण और सामाजिक न्याय पर आधारित आधुनिक समाजवादी भारत का निर्माण करना चाहता था।
- वे मानते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि केंद्रीकृत योजना और तीव्र आधुनिकीकरण के माध्यम से पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन है।
- उनका राजनीतिक दृष्टिकोण नैतिक आदर्शों और व्यावहारिक राज्य-निर्माण का मिश्रण था, जिसमें पुनर्निर्माण के दौरान सशक्त केंद्रीकृत सत्ता का समर्थन भी शामिल था।

मृत्यु और विरासत

- माना जाता है कि अगस्त 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, यद्यपि परिस्थितियाँ विवादित हैं।
- वे भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किए जाते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं।

सरकार के सम्मानजनक कदम

- 2021 से 23 जनवरी को **पराक्रम दिवस** के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि युवाओं में साहस और देशभक्ति की प्रेरणा दी जा सके।
- प्रत्येक वर्ष स्मरणोत्सव आयोजित किए जाते हैं:
  - 2021: विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में उद्घाटन समारोह।
  - 2022: इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा।
  - 2023: अंडमान और निकोबार द्वीपों के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं पर रखा गया।
  - 2024: लाल किले में आयोजन, जो स्वतंत्रता संग्राम से उनके संबंध को रेखांकित करता है।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA)

- INA का गठन 17 फरवरी 1942 को सिंगापुर में ब्रिटिश आत्मसमर्पण के बाद हुआ, जिसमें मुख्यतः जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी भारतीय शामिल थे।
- सुभाषचंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में INA की कमान संभाली, जिसमें लगभग 12,000 सैनिक थे।
- उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया: **"दिल्ली चलो"**, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था।
- 1944 में INA भारत में प्रवेश कर इम्फाल और कोहिमा तक पहुँची, किंतु अभियान इम्फाल में असफल रहा।
- 1945 तक ब्रिटिश सेनाओं ने बर्मा पर पुनः नियंत्रण कर लिया, जिससे INA को पीछे हटना पड़ा।

Source :TH

भारत के मध्यम वर्ग की बढ़ती असुरक्षा

संदर्भ

- भारत ने आय-आधारित गरीबी को कम किया है, किंतु व्यापक आर्थिक असुरक्षा और सीमित ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बनी हुई है। इससे नीतिगत ध्यान गरीबी उन्मूलन से आय सुरक्षा एवं गतिशीलता की ओर स्थानांतरित हुआ है।

कल्याण मापन का बदलता दृष्टिकोण

- पारंपरिक गरीबी मापदंड व्यक्तियों को एक निश्चित आय सीमा के आधार पर गरीब या गैर-गरीब के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
- विश्व बैंक ने कल्याण को मापने हेतु एक उचित जीवन स्तर से दूरी का आकलन करने का प्रस्ताव रखा है।
- यह दृष्टिकोण कल्याण को द्विआधारी स्थिति के बजाय एक निरंतरता के रूप में देखता है।
- इससे उन जनसंख्या समूहों की पहचान करने में सहायता मिलती है जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, किंतु आर्थिक स्थिरता से वंचित हैं।

भारत के विकास अनुभव की प्रवृत्तियाँ

- **गरीबी में कमी लेकिन असुरक्षा में वृद्धि:** आर्थिक विकास के कारण बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा पार कर चुके हैं, किंतु उनमें से कई अभी भी कम और अस्थिर आय के साथ जीवनयापन कर रहे हैं।
- **असुरक्षित मध्यम वर्ग का उदय:** भारत में स्थिर और सुरक्षित मध्यम वर्ग के बजाय "असुरक्षित मध्यम वर्ग" का विस्तार हो रहा है। इस समूह की विशेषता सीमित बचत, सामाजिक सुरक्षा का अभाव एवं अनिश्चित रोजगार स्थितियाँ हैं।
- **कार्यबल का अनौपचारिककरण:** भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ रोजगार की सुरक्षा, लिखित अनुबंध और सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नहीं हैं।
- **आर्थिक क्षेत्रीय असंतुलन:** विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तारित नहीं हुआ है ताकि कृषि से अधिशेष श्रम को समाहित कर सके। कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है, जबकि इसका GDP में योगदान कम है।
- **बढ़ती असमानता:** आर्थिक विकास के साथ आय और संपत्ति की असमानता बढ़ी है। राष्ट्रीय आय का असमान रूप से बड़ा हिस्सा उच्च आय समूहों में केंद्रित है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **श्रम बाज़ार संकट:** उच्च स्तर की बेरोज़गारी, विशेषकर युवाओं और शिक्षित व्यक्तियों में, बनी हुई है।
- **परिवारों की वित्तीय अस्थिरता:** घरेलू वित्तीय बचत में कमी आई है, जबकि ऋण स्तर बढ़े हैं।
- **मानव विकास चुनौतियाँ:** बाल कुपोषण और अवरुद्ध वृद्धि (stunting) जैसी समस्याएँ अभी भी गंभीर हैं।
- खराब स्वास्थ्य और पोषण परिणाम दीर्घकालिक उत्पादकता और आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** युवाओं को उद्योग-संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार क्षमता और रोजगारों के अवसरों को बढ़ाना।
- **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने हेतु शुरू की गई, जिससे बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार उत्पन्न हो सकता है।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** आधार, UPI एवं DBT जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया, रिसाव को कम किया और प्रत्यक्ष आय सहायता सक्षम की, जिससे घरेलू लचीलापन बढ़ा।
- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है, ताकि सामाजिक सुरक्षा लाभों की लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

आगे की राह

- सरकार को वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली जैसे श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उत्पन्न हों।
- सरकार को शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए, जिससे सीखने के परिणाम और कार्यबल की रोजगार क्षमता में सुधार हो।
- सरकार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि असुरक्षित परिवारों को समय पर और लक्षित वित्तीय सहायता मिल सके।

Source: TH

विदेश मंत्री द्वारा 9वें हिंद महासागर सम्मेलन संबोधित

संदर्भ

- विदेश मंत्री ने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका विषय था "हिंद महासागर शासन हेतु सामूहिक संरक्षकता"।

विदेश मंत्री द्वारा हिंद महासागर देशों के लिए पाँच प्रमुख प्राथमिकताएँ

- **स्थिरता की आवश्यकता:** हिंद महासागर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जो अर्थव्यवस्थाओं, आजीविकाओं, संपर्क, संसाधनों और साझा सांस्कृतिक विरासत को पोषित करता है।

- उन्होंने चेतावनी दी कि इस परस्पर जुड़े तंत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान दूरगामी परिणाम ला सकता है, इसलिए स्थिरता और सावधानीपूर्वक संरक्षकता आवश्यक है।
- **ऐतिहासिक संबंध:** क्षेत्र के देशों को ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करने, क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने, मजबूत आर्थिक संबंधों, बेहतर संपर्क और पारंपरिक संबंधों के पुनर्जीवन पर बल देना चाहिए।
- **बदलता वैश्विक क्रम:** विदेश मंत्री ने वैश्विक व्यवस्था की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि विश्व अधिक प्रतिस्पर्धी, अंतर्मुखी और विभाजित हो गया है, जिससे देशों को अधिक विश्वसनीय साझेदारियाँ एवं लचीलापन तलाशना पड़ रहा है।
- **चोक पॉइंट्स पर चिंता:** उन्होंने "चोक पॉइंट्स" (भौतिक और वैचारिक दोनों) पर बढ़ती चिंताओं की ओर संकेत किया।
  - उन्होंने कहा कि नियंत्रित मानसिकता को दूर करना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कल्याण के लिए आवश्यक है।
- **बेहतर सहयोग:** विदेश मंत्री ने हिंद महासागर देशों के बीच बेहतर सहयोग का आह्वान किया और इस क्षेत्र को "ग्लोबल साउथ का महासागर" बताया, जो साझा चुनौतियों का सामना कर रहा है।

हिंद महासागर सम्मेलन

- इसकी शुरुआत 2016 में इंडिया फाउंडेशन ने क्षेत्र के थिंक टैंकों और संस्थानों के सहयोग से की थी, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया।
- विगत 8 वर्षों में यह सम्मेलन देशों के लिए परस्पर हितों के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श का प्रमुख मंच बन गया है।
- वर्षों में 55 देशों के 100 से अधिक मंत्रियों ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है।
- यह सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार करने का मंच प्रदान करता है, विशेषकर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) के संदर्भ में।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का महत्व

- **भूरणनीतिक महत्व:** हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
  - इसमें महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स हैं: होरमुज़ जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदेब, मलक्का जलडमरूमध्य, लोम्बोक जलडमरूमध्य, जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह का बड़ा हिस्सा संभालते हैं।
  - IOR पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे यह भारत, चीन, अमेरिका और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय क्षेत्र बन जाता है।
- **आर्थिक महत्व:** यह क्षेत्र वैश्विक कंटेनर यातायात का लगभग 50% और समुद्री तेल व्यापार का 80% वहन करता है।
  - यह ब्लू इकोनॉमी गतिविधियों का केंद्र है: शिपिंग, मत्स्य पालन, समुद्र-तल खनन और पर्यटन।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** IOR वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की जीवनरेखा है। पश्चिम एशिया से तेल और गैस पूर्व एशिया तक इसके समुद्री मार्गों से पहुँचते हैं।
  - भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, जिससे IOR की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएँ:** मत्स्य पालन, समुद्र-तल खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन में अवसर उपलब्ध हैं, जिनके लिए सुरक्षित समुद्र आवश्यक है।

IOR में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

- **इंडो-पैसिफिक अवधारणा:** इंडो-पैसिफिक भारतीय एवं प्रशांत महासागरों को एक रणनीतिक क्षेत्र में जोड़ता है और नए वैश्विक समुद्री क्रम के निर्माण में IOR की केंद्रीयता को रेखांकित करता है।
- **वैश्विक व्यवस्था पर प्रभाव:** IOR पर नियंत्रण से प्रभावित हो सकते हैं:
  - व्यापार प्रवाह (विशेषकर तेल और गैस),
  - रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट्स (जैसे होरमुज़, मलक्का, बाब-अल-मंदेब),
  - सैन्य तैनाती और अड्डों की लॉजिस्टिक्स।
- **खंडित समुद्री शासन:** कई तटीय राज्यों में निगरानी, कानून प्रवर्तन और मानवीय/आपदा प्रतिक्रिया (HADR) की क्षमता का अभाव है।

- **विविध विषम खतरे:** अवैध, अनियमित और अपंजीकृत (IUU) मत्स्य पालन, तस्करी, समुद्री डकैती का पुनरुत्थान और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले सुरक्षा को जटिल बनाते हैं।
- **IOR में चीनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार:** क्षेत्र में चीनी नौसैनिक जहाजों की तैनाती संख्या और अवधि दोनों में बढ़ी है।
    - चीनी अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाज संवेदनशील समुद्री और महासागरीय डेटा एकत्र करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर तैनात किए जा रहे हैं।

सरकारी पहल

- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत के समुद्रतट और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर केंद्रित।
    - बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और संपर्क को समर्थन।
    - परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता: तटीय घाट, रेल/सड़क संपर्क, मत्स्य बंदरगाह, क्रूज़ टर्मिनल।
- **मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 (MIV 2030):** 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्र बनाने और विश्वस्तरीय, कुशल एवं सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने का लक्ष्य।
- **सागरमंथन संवाद:** वार्षिक समुद्री रणनीतिक संवाद, जिससे भारत को वैश्विक समुद्री वार्ताओं का केंद्र बनाया जा सके।
- **मैरिटाइम विकास कोष:** ₹25,000 करोड़ का कोष, दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु, बंदरगाह और शिपिंग अवसंरचना का आधुनिकीकरण और निजी निवेश को प्रोत्साहन।
- **MAHASAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक एवं समग्र प्रगति):** IOR में भारत की रणनीतिक पुनर्ब्रांडिंग को दर्शाता है।
- **नौसैनिक आधुनिकीकरण और स्वदेशी विकास:** भारत नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है।
    - स्वदेशी युद्धपोतों का कमीशनिंग (जैसे INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम)।
    - समुद्री क्षेत्र जागरूकता और शक्ति प्रदर्शन को बढ़ावा।
    - इससे IOR में भारत की सैन्य स्थिति और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
- **भारत की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय कूटनीति:** भारत क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चीनी अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है।
    - इन परिसंपत्तियों के चीन द्वारा सैन्य उपयोग से आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले जोखिमों पर बल दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

- भारत की समुद्री सुरक्षा पहलें सैन्य क्षमता, अवसंरचना तत्परता, क्षेत्रीय साझेदारी और विधिक-संस्थागत ढाँचों का मिश्रण हैं।
- एक्ट ईस्ट नीति, इंडो-पैसिफिक विज़न और ब्लू इकोनॉमी रणनीति जैसी पहलें IOR में भारत की केंद्रीय भूमिका को सुदृढ़ करती हैं।

Source: MEA

संक्षिप्त समाचार

व्हिप

संदर्भ

- सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ने अपने सभी सांसदों को तीन-पंक्ति का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें संसद के विस्तारित बजट सत्र के दौरान अपने-अपने सदनों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

व्हिप क्या है?

- व्हिप का अर्थ है सदन में किसी दल के सदस्यों को दल के निर्देशों का पालन करने का आदेश।
- राजनीतिक दल अपने सांसदों को किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने हेतु व्हिप जारी करते हैं।
- एक बार व्हिप जारी होने पर सांसदों को उसका पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वे संसद में अपनी सीट खोने का जोखिम उठाते हैं।

- यह शब्द ब्रिटिश परंपरा "व्हिपिंग इन" से लिया गया है, जिसमें सांसदों को दल की नीति का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था।
- संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु इसे संसदीय परंपरा माना जाता है।
- दल अपने सदन के वरिष्ठ सदस्य को मुख्य व्हिप नियुक्त करते हैं, जिन्हें अतिरिक्त व्हिप सहयोग करते हैं।

व्हिप के प्रकार

- **एक-पंक्ति व्हिप:** केवल मतदान की सूचना देता है, सदस्य अनुपस्थित रह सकते हैं।
- **दो-पंक्ति व्हिप:** उपस्थिति अनिवार्य करता है, पर मतदान का निर्देश नहीं देता।
- **तीन-पंक्ति व्हिप:** सदस्यों को उपस्थित रहने और दल की नीति के अनुसार मतदान करने का निर्देश देता है।

व्हिप का महत्व

- व्हिप अनुशासन बनाए रखता है, उपस्थिति सुनिश्चित करता है और आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
- यह राजनीतिक दल और विधायिका में उसके सदस्यों के बीच संचार का माध्यम है।
- यह सदस्यों की राय जानने और उसे दल के नेताओं तक पहुँचाने का कार्य भी करता है।

स्रोत: TH

भारत में मतदान का अधिकार

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा है कि भारत में जन्मे व्यक्ति को मतदाता सूची में बने रहने और मतदान करने का अधिकार है।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची में शामिल होने और मतदान करने का अधिकार एक "भावनात्मक अधिकार" भी है।
- यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाता विलोपन के संदर्भ में आई।

भारत में मतदान का अधिकार

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है।
- किंतु मतदान एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार (सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है)।
- एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर (1952) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक अधिकार हैं।
- कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि मतदान वैधानिक अधिकार है, यद्यपि लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चीन के काल्पनिक नामकरण को खारिज

समाचार में

- भारत ने चीन द्वारा अपने क्षेत्र का हिस्सा बताकर स्थानों को "काल्पनिक नाम" देने के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज किया है और ऐसे कदमों को "दुष्टतापूर्ण" तथा द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक बताया है।

चीन की कार्रवाइयाँ

- चीन अरुणाचल प्रदेश को "दक्षिणी तिब्बत" (ज़ांगनान) कहता है और 2017 से कई बार स्थानों के नाम बदलने की सूची जारी कर चुका है, जिन्हें भारत लगातार अमान्य मानता है।
- चीन लद्दाख के क्षेत्रों, जिनमें अक्साई चिन भी शामिल है, में हेआन और हेकांग जैसे प्रशासनिक इकाइयाँ बना रहा है।
- चीन ने हाल ही में सेनलिंग नामक नया काउंटी भी बनाया है।

- **सेनलिंग:** यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है, जो पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) और अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के आसपास आता है।
- **हे'आन(He'an):** इसमें अक्साई चिन का हिस्सा शामिल है, जो लंबे समय से भारत-चीन सीमा विवाद का केंद्र रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया

- विदेश मंत्रालय (MEA) ने पुनः कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अन्य विवादित क्षेत्र भारत के "अभिन्न और अविभाज्य" हिस्से हैं।
- भारत इन कदमों को सीमा तनाव और रणनीतिक चिंताओं के व्यापक संदर्भ में देखता है, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी शामिल है, जिसका भारत PoK पर संप्रभुता के मुद्दे के कारण विरोध करता है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- LAC वह विभाजन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- भारत LAC को 3,488 किमी लंबा मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 किमी मानता है।
- इसे तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है:
  - पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम,
  - मध्य क्षेत्र: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश,
  - पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख।

स्रोत: TH

परियोजना हिम सरोवर

संदर्भ

- लद्दाख में **परियोजना हिम सरोवर** शुरू की गई है।

परिचय

- **उद्देश्य:** इस परियोजना का लक्ष्य वैज्ञानिक हिम संचयन और जलाशयों का निर्माण करना है, ताकि लद्दाख में जल संकट की गंभीर चुनौती का समाधान किया जा सके।
- परियोजना के अंतर्गत पिघलती बर्फ और हिमनदी जल को संग्रहित करने हेतु भंडारण तालाब बनाए जाएंगे।
  - ये तालाब सिंचाई और ग्रामीण जल आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
- पहल का उद्देश्य जलवायु-लचीला जल प्रबंधन हेतु स्थानीय मॉडल विकसित करना भी है।
  - लद्दाख की घाटियाँ हिमपात और हिमनदों पर निर्भर हैं, किंतु अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन जल संकट उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
- इस परियोजना को भारतीय सेना, ITBP, BRO और स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त हुआ है।
- **महत्व:** यह क्षेत्र में स्थानीय आजीविका और कृषि को बढ़ावा देगा।
  - जल संकट का समाधान करेगा, सिंचाई को सशक्त करेगा और जलवायु लचीलापन बढ़ाएगा।

स्रोत: ET

संक्रमण धातुएँ

संदर्भ

- हाल ही में *नेचर* पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि एल्युमिनियम कुछ उत्प्रेरक गुणों में संक्रमण धातुओं की नकल कर सकता है।

संक्रमण धातुएँ क्या हैं?

- संक्रमण धातुएँ आवर्त सारणी के **d-ब्लॉक** में स्थित तत्व हैं, जिनकी विशेषता आंशिक रूप से भरी हुई d-ऑर्बिटल होती है।
  - **उदाहरण:** पैलेडियम, प्लेटिनम और रोडियम।
- **अनुप्रयोग:** ये धातुएँ अपनी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण उत्प्रेरक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती हैं।
  - इनके उत्प्रेरक गुण प्रतिक्रिया समय को कम करते हैं और उपज व दक्षता को बढ़ाते हैं।
  - ये पेट्रोकेमिकल परिशोधन, पॉलिमर निर्माण और कृषि-रसायन उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संक्रमण धातुओं के प्रमुख गुण

- संक्रमण धातुएँ परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करती हैं, जिससे वे आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण और त्याग सकती हैं।

- ये रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाती हैं, जो उत्प्रेरक गतिविधि के लिए आवश्यक हैं।
- ये लिगैंड्स के साथ स्थिर यौगिक बनाती हैं, जिससे नियंत्रित रासायनिक परिवर्तन संभव होते हैं।

भारत के लिए महत्व

- संक्रमण धातुएँ दुर्लभ और महँगी होती हैं।
- एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में, सस्ता और भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध है।
- एल्युमिनियम-आधारित उत्प्रेरक भारत की महत्त्वपूर्ण संक्रमण धातुओं पर आयात निर्भरता को कम कर सकते हैं।

स्रोत: TH

CAFE-III मानदंड

संदर्भ

- **कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) III मानदंड** 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए अधिक कठोर ईंधन दक्षता आवश्यकताएँ होंगी।

CAFE मानदंड के बारे में

- कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता या CAFE मानदंड प्रथम बार 2017 में **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के अंतर्गत पेश किए गए थे।
- इन्हें **ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE)** द्वारा जारी किया गया था।
- ये नियम **M1 श्रेणी के वाहनों** पर लागू होते हैं — यात्री कारें जिनमें अधिकतम 9 सीटें और 3,500 किग्रा तक वजन होता है।
- नियमों में वाहन निर्माता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में बेचे गए वाहनों के औसत वजन के आधार पर ईंधन खपत की सीमा तय की जाती है।
- चूँकि ईंधन खपत और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन सीधे जुड़े हैं, नियमों का उद्देश्य कंपनियों को अपने पूरे वाहन बेड़े की दक्षता सुधारने हेतु प्रेरित करना है।

CAFE मानदंड के चरण

- **प्रथम चरण (2017–18):** औसत ईंधन खपत सीमा 5.5 लीटर/100 किमी और उत्सर्जन <130 ग्राम CO_2/किमी।
- **द्वितीय चरण (2022–23):** सीमा घटाकर 4.78 लीटर/100 किमी और उत्सर्जन <113 ग्राम CO_2/किमी।
- **तृतीय चरण (CAFE III या CAFE 2027):** प्रस्तावित सीमा 3.72–3.01 लीटर/100 किमी और उत्सर्जन <91.7 ग्राम CO_2/किमी।

स्रोत: BS

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM)

संदर्भ

- e-NAM पोर्टल बढ़ते बाज़ार एकीकरण को दर्शाता है, जहाँ जुड़ी हुई मंडियों की संख्या 2024 में 1,389 से बढ़कर मार्च 2026 तक 1,656 हो गई है, जो 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) के बारे में

- यह कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
- APMC मंडियों को एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार में जोड़ता है।
- इसे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत **लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC)** द्वारा संचालित किया जाता है।
- उद्देश्य:
  - कृषि उत्पादों के लिए **'वन नेशन, वन मार्केट'**।
  - बेहतर मूल्य खोज, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा।

प्रमुख विशेषताएँ

- **ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म:** किसान इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न मंडियों में उत्पाद बेच सकते हैं; भौगोलिक बाधाएँ समाप्त होती हैं।
- **गुणवत्ता परीक्षण:** वैज्ञानिक गुणवत्ता परीक्षण से निष्पक्ष मूल्य सुनिश्चित होता है।

- **पारदर्शी बोली प्रणाली:** बिचौलियों/कार्टेलाइजेशन को कम करती है और प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को बढ़ावा देती है।
- **एकीकृत लाइसेंस:** व्यापारी कई मंडियों में कार्य कर सकते हैं।
- **ऑनलाइन भुगतान प्रणाली:** किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान से विलंब और शोषण कम होता है।

e-NAM पोर्टल

- **सिंगल-विंडो सेवा:** उत्पाद आगमन, गुणवत्ता परीक्षण, बोली, भुगतान — सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर।
- **यूनिक लॉट आईडी ट्रैकिंग:** प्रत्येक लॉट को गेट एंट्री से अंतिम बिक्री तक मोबाइल द्वारा ट्रैक किया जाता है।
- **लाइव मूल्य डैशबोर्ड:** वास्तविक समय में उत्पाद कीमतें, मंडी आगमन, व्यापार मात्रा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध।
- **12-भाषा इंटरफ़ेस:** हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, ओड़िया आदि।
- **द्वितीयक बिक्री मॉड्यूल:** पहले से खरीदे गए लॉट का पुनर्विक्रय प्लेटफ़ॉर्म पर संभव।
- **अंतर-राज्यीय व्यापार सुविधा:** राज्य एकीकृत लाइसेंस से व्यापारी राज्य सीमाओं के पार बोली लगा सकते हैं।

स्रोत: PIB

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)

संदर्भ

- हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने संकेत दिया है कि **अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)** की कमजोरी बड़े जलवायु व्यवधानों को उत्पन्न कर सकती है।

AMOC क्या है?

- AMOC महासागर धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है जो ऊष्मा का परिवहन करती है:
  - गर्म, जल सतह पर उत्तर की ओर प्रवाहित होता है (जैसे गल्फ स्ट्रीम)।
  - ठंडा, सघन पानी उत्तरी अटलांटिक में नीचे डूबता है और गहराई में दक्षिण की ओर बहता है।
- यह वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करता है, यूरोप को समान अक्षांशों की तुलना में गर्म रखता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पैटर्न को प्रभावित करता है।
- उत्तरी अटलांटिक में जल ठंडा होकर सघन हो जाता है और नीचे डूबता है, फिर गहराई में दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, जिससे परिसंचरण चक्र पूरा होता है।

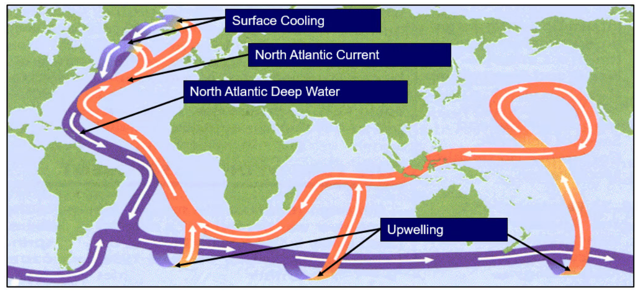

महत्व

- यूरोप को उच्च अक्षांशों के बावजूद अपेक्षाकृत गर्म रखता है।
- भारतीय मानसून पैटर्न को प्रभावित करता है।
- वैश्विक जलवायु और वर्षा वितरण को नियंत्रित करता है।
- पोषक तत्वों के परिसंचरण द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देता है।

कमजोरी के प्रमाण

- विगत 20 वर्षों के प्रेक्षणीय आँकड़े AMOC की शक्ति में लगातार गिरावट दिखाते हैं।
- पश्चिमी अटलांटिक सीमा लगभग 90% कमजोरी में योगदान करती है।
- सबसे अधिक गिरावट 16.5°N अक्षांश पर देखी गई है।

AMOC के पतन के प्रभाव

- **कार्बन चक्र व्यवधान:** वातावरण में 47–83 गीगाटन CO_2 का उत्सर्जन।
- दक्षिणी महासागर कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदल जाता है, जिससे वैश्विक तापमान में लगभग 0.2°C की वृद्धि होती है।
- **तापमान परिवर्तन:**
  - उत्तरी गोलार्ध: आर्कटिक में 7°C तक ठंडक; ऊष्मा परिवहन में कमी और समुद्री-बर्फ अल्बेडो प्रतिक्रिया।

- दक्षिणी गोलार्ध: अंटार्कटिका में 6–10°C तक गर्मी।
- वैश्विक तापमान प्रभाव: शुद्ध वैश्विक तापमान वृद्धि 0.17–0.27°C।
- **महासागरीय और वायुमंडलीय परिवर्तन:** AMOC की कमजोरी मानसून, तूफ़ान मार्ग और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है।
  - यह श्रृंखलाबद्ध टिपिंग पॉइंट्स को उत्पन्न कर सकती है।

स्रोत: DTE

NEXT IAS